

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज          उनवान सरकार बनाम .....          अ पत्र 129</p>	<p>नंबर व तारीख          अहकाम व हुक्म की तारीख में जारी हुई</p>
<p>22/06/19</p>	<p>मुकदमा नं० ..... 6119 ..... निर्णय दि० ..... 27-6-19</p> <p>पत्रावली पेश हुई प्राची व परोक्षर सरकार से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया बहस का मनन किया।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमावन्दी से विवादित भूमि प्राची के स्वामिदारी में भूमि होना साबित है प्राची अपनी उम्त स्वामिदारी भूमि पत्थरगढी कराना चाहती है न्यायहित में उम्त भूमि का सीमाज्ञान करके पत्थरगढी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्राची का प्रार्थना पत्र 128-L.R. AG स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि ख० नं० 788 व ख० नं० 789 कुल रकबा 0.1500 है० वीडि रमामानपुर तहसील सिकराय का निपमानुसार शुल्क लेकर सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगढी सिरे जाने में आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते हैं पत्रावली फिसल शुभाट होकर नम्बर से रूक हो।</p> <p>22/6/19          जज अहकाम          सिकराय जिला-दौसा</p>	